ई–मेल/निबंधित डाक

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7. सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं०:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611/2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक – ई०एल०एस०–20/2019– 5574 पटना, दिनांक 24 जून, 2019 ई०।

प्रेषक

एच० आर० श्रीनिवास,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सरकार के सचिव।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय:– **लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर निर्वाचन कर्त्तव्य के दौरान प्रतिनियुक्त हवलदार, आनन्द कुमार ठाकुर (वर्त्तमान पदस्थापन वि०सै०पु०–06–मुजफ्फरपुर) की मृत्यु के पश्चात् अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति होने के कारण उनकी आश्रिता पत्नी– मो० मिथिला देवी को ₹10,00,000/– (दस लाख रूपये) मात्र का भुगतान करने के संबंध में।**

आदेश:– स्वीकृत।

2. यह राशि मांग सं०–06, मुख्यशीर्ष 2015–निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष–0001–लोक सभा निर्वाचन, विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय एवं विपत्र कोड 06–2015001050001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटित राशि से विकलनीय होगी।
3. अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान की स्वीकृति वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०–वि (27) पे० को०–78/05–2796 वि०(2) दिनांक 01.04.2009, संकल्प सं०–वि० (27) पे०को०–78/05–451 वि० (2) दिनांक 09.04.2014 एवं संकल्प सं०–608 वि० (2) दिनांक 07.05.2014 में निहित प्रावधान एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक–1722/निर्वा० दिनांक 27.05.2019 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में दी जा रही है।
4. अनुग्रह अनुदान की स्वीकृत राशि का भुगतान जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग सं०–06, मुख्यशीर्ष 2015–निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार, उपशीर्ष–0001–लोक सभा निर्वाचन, विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय एवं विपत्र कोड 06–2015001050001 के अन्तर्गत विभाग द्वारा आवंटित राशि से किया जायेगा।
5. स्वीकृत राशि का भुगतान जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा स्व0 आनन्द कुमार ठाकुर की पत्नी– मो० मिथिला देवी, ग्राम+पो0– नाजिरपुर, थाना– रहिका, जिला– बेगूसराय की उचित पहचान के उपरांत उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।
6. जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, बेगूसराय, स्वीकृत राशि के भुगतान के पूर्व स्व० आनन्द कुमार ठाकुर के आश्रितों से यह लिखित रूप में प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि स्व0 ठाकुर के आश्रितों को केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्य किसी विभाग/उनके पैतृक विभाग से अनुग्रह अनुदान/बीमा की राशि प्राप्त नहीं किया गया है।

21/6

(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– ई०एल०एस०–20/2019– 5574 पटना, दिनांक 24 जून, 2019 ई०।

प्रतिलिपि :– मो0 मिथिला देवी, पति– स्व0 आनन्द कुमार ठाकुर, ग्राम+पो0– नाजिरपुर, थाना– रहिका, जिला– बेगूसराय, पिन– 847215. को सूचनार्थ प्रेषित।

21/6

(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– ई०एल०एस०–20/2019–5574 पटना, दिनांक 24 जून, 2019 ई0।

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय को निबंधित डाक द्वारा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/6

(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– ई०एल०एस०–20/2019–5574 पटना, दिनांक 24 जून, 2019 ई0।

प्रतिलिपिः– जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को स्पीड पोस्ट द्वारा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/6

(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– ई०एल०एस०–20/2019–5574 पटना, दिनांक 24 जून, 2019 ई0।

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि संबंधित जिला को स्वीकृत राशि के विरूद्ध शीघ्र आवंटन उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जाये।

21/6

(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
–सह–सरकार के सचिव।